

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ. 2 (ग) ए.सी.पी./88-89-11/अलेसे-11/15467-68

दिनांक:- 13-08-2013

कार्यालय आदेश संख्या 225/2013-14

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 11 (7) एफडी/रूल्स/2008/दिनांक 12.09.08 एवं दिनांक 06.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14(88)एफडी(नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में श्री गोपाल कृष्ण मोची, लेखाकार जिनकी जन्मतिथि 29.11.1965 है तथा जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर दिनांक 11.02.1991 को कार्यग्रहण किया था। इन्होंने 18 वर्ष की राजकीय सेवा निरन्तर एवं सन्तोषजनक पूर्ण कर ली है, इन्हें द्वितीय ए.सी.पी. दिनांक 11.02.2009 से वेतनमान पे-बैंड 9300-34800 एवं ग्रेड-पे 4200/- स्वीकृत किया जाता है एवं वित्त विभाग (नियम अनुभाग) के पत्रांक प.14 (88) वित्त (नियम) 2008 जयपुर, दिनांक 05.07.2013 के अनुसरण में दिनांक 01.07.2013 से ग्रेड-पे 4800/- स्वीकृत किया जाता है।

श्री गोपाल कृष्ण मोची, लेखाकार के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 14 (88) एफडी (नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 में दी हुई शर्तों के सम्बन्ध में सन्तोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृत किया जाता है।

श्री गोपाल कृष्ण मोची, लेखाकार का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ-14(88)एफडी(नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित लेखाकार की सेवापुस्तिका में की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित लेखाकार ए.सी.पी. स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में पे-ग्रेड 3600/- में वेतन प्राप्त कर रहे हैं।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ. 2 (ग) ए.सी.पी./88-89-11/अलेसे-11/15467-68 दिनांक:- 13-08-2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उदयपुर।
2. श्री गोपाल कृष्ण मोची, लेखाकार, कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उदयपुर।
3. निजी सहायक निदेशक महोदया।
4. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाइट हेतु)।


(क.एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- I)